Website : www.highwaychannel.in

छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्रसारित शाम का अखबार

हाईवे चैनल

वर्ष- 28 अंक- 151 रायपुर, बुधवार 25 जून 2025 पृष्ठ-8 मूल्य- 2.50 रुपया • रायपुर • जगदलपुर से प्रकाशित RNI रजिस्ट्रेशन नं. 68139/98

स्थानांतरण पर प्रतिबंध में छूट की अवधि बढ़ी

अब 30 जून तक वेबसाइट पर अपलोड होंगे आदेश

रायपुर, 25 जून (हाईवे चैनल)। छत्तीसगढ़ शासन ने कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए 30 जून तक स्थानांतरण आदेश जिला-विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने की छूट दी है. इसके पहले यह छूट केवल 25 जून तक थी.

सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से तमाम विभागाध्यक्षों को स्थानांतरण नीति वर्ष 2025 के संबंध में जारी पत्र में बताया गया है कि स्थानांतरण पर प्रतिबंध को 25 जून तक शिथिल किया गया है. राज्य शासन ने छूट की अवधि में संशोधन करते हुए 30 जून तक निर्धारित किया है. इस अवधि में जिला स्तर पर जारी स्थानांतरण आदेश तथा क्रियान्वयन की स्थिति को 30 जून तक संबंधित जिला / विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं. इसके अतिरिक्त स्थानांतरण नीति की शेष शर्तें यथावत रहेगी.

मल्लिकार्जुन खड़गे 7 जुलाई को साइंस कॉलेज में किसान, जवान, संविधान सभा को संबोधित करेंगे

रायपुर, 25 जून। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव, छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट ने राजीव भवन में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि 7 जुलाई को कांग्रेस पार्टी राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में ''किसान, जवान, संविधान'' सभा का आयोजन करने जा रही है। इस सभा को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल भी संबोधित करेंगे। सचिन पायलट ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस की सक्रियता तथा विभिन्न मुद्दों पर किये जा रहे आंदोलनों की सराहना किया तथा कहा कि कांग्रेस हर वर्ग की पीड़ा को लेकर लड़ाई लड़ रही है। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत की भी तारीफ करते हुये कहा कि वे लगातार सदन के बाहर, भीतर जनता की आवाज उठा रहे, सरकार को आईना दिखा रहे है।

ट्रैफिक चालान के केस सुनने प्रदेश के सभी संभागों में खोले जाएंगे वर्चुअल कोर्ट

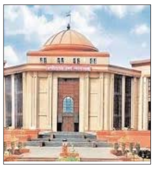

बिलासपुर, 25 जून (हाईवे चैनल)। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने ट्रैफिक चालान के मामलों की सुनवाई को आसान और डिजिटल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। राज्य के पांचों संभागों बस्तर, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर और सरगुजा में वर्चुअल कोर्ट की शुरुआत की जा रही है। हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल मनीष कुमार ठाकुर द्वारा जारी आदेश के मुताबिक बस्तर संभाग की वर्चुअल कोर्ट जगदलपुर में संचालित होगी, जो बीजापुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, सुकमा आदि जिलों के चालान मामलों की सुनवाई करेगी। इसी तरह बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर और अंबिकापुर में स्थापित कोर्ट अपने-अपने संभागीय जिलों को कवर करेंगी।

इस व्यवस्था से वाहन चालकों को अब कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। ऑनलाइन माध्यम से ही चालान की जानकारी, सुनवाई और भुगतान संभव होगा। इससे समय की बचत होगी और कोर्ट पर बोझ भी कम होगा। यह पहल छत्तीसगढ़ में न्यायिक प्रणाली के डिजिटलीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। आम जनता को न्याय तक आसान और तेज पहुंच दिलाने की दिशा में यह एक कारगर पहल होगी। इस पूरी प्रक्रिया को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संचालित किया जाएगा। वाहन चालक अपने चालान की जानकारी संबंधित पोर्टल या एप पर प्राप्त कर सकेंगे। इसके बाद वे ई-हियरिंग के माध्यम से जुड़कर या सीधे ऑनलाइन सुनवाई के जरिए केस निपटा सकते हैं। वर्चुअल कोर्ट की यह पहल न्याय प्रक्रिया को आम लोगों के लिए और अधिक सुलभ बनाएगी। ट्रैफिक से जुड़े छोटे-छोटे मामलों में अब लोगों को दिनभर की छुट्टी लेकर कोर्ट नहीं जाना होगा। विशेषकर दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। बताया गया है कि बिलासपुर संभाग में सीजेएम की कोर्ट में बिलासपुर, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, जांजगीर-चांपा, सक्ती, कोरबा, मुंगेली, रायगढ़, सारागढ़-बिलाईगढ़ के ट्रैफिक चालान के केस सुने जाएंगे।

4 साथियों की हत्या करने वाले सीआरपीएफ जवान की अपील हाईकोर्ट ने की खारिज

कहा- कठिन परिस्थितियां ऐसा अमानवीय कदम उठाने का नहीं देती अधिकार

चार सहकर्मियों की हत्या के दोषी सीआरपीएफ कांस्टेबल संत कुमार की आपराधिक अपील को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। न्यायालय ने स्पष्ट टिप्पणी करते हुए कहा कि ड्यूटी की कठिन और तनावपूर्ण परिस्थितियां किसी को ऐसा अमानवीय कदम उठाने का अधिकार नहीं देतीं। कोर्ट ने माना कि घायल चश्मदीद गवाह की गवाही का कानूनी महत्व अत्यधिक होता है और जब तक उसमें कोई गंभीर विरोधाभास या असंगति न हो, उसे खारिज नहीं किया जा सकता। यह फैसला हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बी.डी. गुरु ने सुनाया। कोर्ट ने माना कि ट्रायल कोर्ट ने संत कुमार को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और 307 (हत्या का प्रयास) के तहत दोषी ठहराकर जो सजा सुनाई है, उसमें किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि नहीं है।

उत्तर प्रदेश निवासी संत कुमार सीआरपीएफ की बटालियन में कांस्टेबल के पद पर तैनात था और बस्तर जिले के बासागुड़ा कैम्प में ड्यूटी कर रहा था। 9 दिसंबर 2017 को शाम करीब 4:30 बजे ड्यूटी के समय और जिम्मेदारियों को लेकर उसका उपनिरीक्षक विक्की शर्मा से विवाद हो गया। यह विवाद इतना बढ़ा कि संत कुमार ने अपनी सर्विस राइफल,एके-47 से विक्की शर्मा, एएसआई राजीव सिंह और कांस्टेबल मेघ सिंह पर अंधाधुंध गोलियां चला दीं, जिससे तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के दौरान एसआई गजानंद सिंह घायल हो गया, जो किसी तरह जान बचाकर भागने में सफल रहा। इसके बाद संत कुमार ने मनोरंजन कक्ष में छिपे कांस्टेबल शंकर राव पर भी गोली चला दी, जिससे उसकी भी मृत्यु हो गई। इस तरह कुल चार लोगों की जान गई और एक गंभीर रूप से घायल हुआ। घटना के बाद संत कुमार को गिरफ्तार किया गया और न्यायिक प्रक्रिया शुरू हुई। ट्रायल कोर्ट ने उसे दोषी पाते हुए अलग-अलग धाराओं के तहत सात-सात साल की सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ उसने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सशस्त्र बलों की कार्य स्थितियाँ निश्चित रूप से कठिन होती हैं और सैनिकों को कई बार तनाव, स्वास्थ्य जोखिम और जीवन के खतरे का सामना करना पड़ता है। लेकिन इन चुनौतियों का यह अर्थ नहीं कि कोई जवान अपने सहकर्मियों की हत्या कर दे।

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि संत कुमार द्वारा किया गया कृत्य किसी भी प्रकार से भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (गैर-इरादतन हत्या) के दायरे में नहीं आता, बल्कि यह एक जानबूझकर की गई क्रूर और संगीन वारदात है। घटना में घायल चश्मदीद गवाह की गवाही को कोर्ट ने पूरी तरह विश्वसनीय माना और कहा कि अभियोजन पक्ष ने अपने तर्कों और साक्ष्यों से यह सिद्ध कर दिया कि दोषी ने सुनियोजित ढंग से हत्या की है। कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के निर्णय में किसी प्रकार की कानूनी या तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है, इसलिए अपील में कोई दम नहीं है। नतीजतन हाईकोर्ट ने संत कुमार की आपराधिक अपील को निरस्त कर दिया और ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा।

ब्रेकिंग न्यूज

विंग कमांडर अभिनंदन को जिसने पकड़ा था, मुनीर का वो जवान अब खुद हुआ ढेर

नई दिल्ली, 25 जून (न्यूज चैनल)। पाकिस्तानी सेना के 37 वर्षीय अधिकारी मेजर मोइज़ अब्बास शाह, जिन्होंने 2019 के बालाकोट हवाई हमलों के बाद भारतीय वायु सेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्थमान को पकड़ने का दावा किया था, दक्षिण वज़ीरिस्तान क्षेत्र में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) के साथ मुठभेड़ में मारे गए। चकवाल के मूल निवासी और सेना के विशिष्ट विशेष सेवा समूह (एसएसजी) के सदस्य शाह, आतंकवाद विरोधी अभियान का नेतृत्व करते हुए मारे गए। पाकिस्तानी सेना ने पुष्टि की कि गोलीबारी में एक अन्य सैनिक लांस नायक जिब्रानउल्लाह भी मारा गया।

गाजा में भी इजराइल को झटका: विस्फोट से बख्तरबंद वाहन तबाह, 7 इजराइली सैनिकों की मौत

नई दिल्ली, 25 जून (न्यूज चैनल)। दक्षिणी गाजा के खान यूनिस शहर में मंगलवार को एक इजराइली बख्तरबंद वाहन के एक विस्फोटक की चपेट में आने से इजराइल के सात सैनिकों की मौत हो गयी। इजराइली सेना के एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। सैन्य नियमों के अनुसार नाम न उजागर करने की शर्त पर अधिकारी ने बताया कि छह सैनिकों की पहचान जारी कर दी गयी है जबकि एक की पहचान को गोपनीय रखा गया है। सेना ने बताया कि खान यूनिस इलाके में ही गोलीबारी में मंगलवार को एक सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गया। हमास की सैन्य शाखा अल-कासिम ब्रिगेड्स ने अपने टेलीग्राम चैनल पर कहा कि उसने दक्षिणी गाजा पट्टी में एक आवासीय इमारत के अंदर छिपे इजराइली सैनिकों पर घात लगाकर हमला किया।

चूहा- सुनती हो, नेता लोग आज आपातकाल का दुःख ताजा कर रहे हैं।

चुहिया- हां जी, लेकिन अब तो अमृतकाल चल रहा है, दुःख की गुंजाइश कहां है ?

चलती कार से युवक की लाश फेंकी, युवती समेत 3 संदिग्ध हिरासत में, नशे के ओवरडोज से मौत की आशंका

रायपुर, 25 जून (हाईवे चैनल)। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अपराध की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। सूटकेस में मिले किशोर पैकरा हत्याकांड का रहस्य पूरी तरह सुलझा भी नहीं था कि शहर में एक और सनसनीखेज वारदात ने हलचल मचा दी है। इस बार मामला कबीर नगर थाना क्षेत्र का है, जहां चलती कार से एक युवक की लाश फेंक दी गई। मृतक की पहचान मंदीप सिंह के रूप में हुई है, जिसकी कलाई पर खुद का नाम मनदीप एस गुदा हुआ मिला। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और एक युवती समेत तीन संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।

घटना मंगलवार शाम करीब 6.30 बजे की है। बाल्मीकि नगर, कबीर नगर रोड के पास एक सफेद क्रेटा कार (सीजी 04 पीवाय 1388) से अचानक एक युवक की लाश बाहर फेंकी गई। राहगीरों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने तुरंत शव को एम्स रायपुर पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद पुलिस ने इलाके की सीसीटीवी फुटेज खंगाली, जिसमें कार की पहचान की गई। इसके आधार पर पुलिस ने कार मालिक सहित एक युवती और एक अन्य युवक को हिरासत में ले लिया। प्राथमिक पूछताछ में मृतक के साथ साधना अग्रवाल उर्फ भूरी (19 वर्ष), कबीर नगर, संतोष मिश्रा (44 वर्ष), हीरापुर और एक अन्य युवक (नाम उजागर नहीं) कार में मौजूद थे और सभी नशे की हालत में पाए गए हैं। पुलिस ने सभी के ब्लड सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए हैं। रिपोर्ट आने के बाद यह स्पष्ट होगा कि इन्होंने किस प्रकार का नशा किया था। घटना की सूचना मिलते ही कबीर नगर थाना प्रभारी, फोरेंसिक टीम और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। प्रारंभिक पूछताछ में संदिग्धों ने पुलिस को बताया कि मृतक ड्रग्स नशा करता था, जो भूरी उर्फ साधना एवं संतोष के साथ नशा कर रहा था। बताया जा रहा है कि इंजेक्शन के माध्यम से मृतक मंदीप नस में नशीला पदार्थ को इंजेक्ट कर रहा था। तभी उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। जिसके बाद घबराकर आरोपियों ने उसे चलती कार से बाहर धकेल दिया और मौके से फरार हो गए। फिलहाल मृतक का शव एम्स रायपुर में रखा गया है और कार को भी पुलिस ने कब्जे में ले लिया गया है । मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और ब्लड रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों की पुष्टि हो सकेगी।

दुनिया के सबसे अमीर शहर न्यूयार्क का मेयर बनेगा भारतीय

नई दिल्ली, 25 जून (न्यूज चैनल)। भारतीय मूल के 33 वर्षीय डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट सांसद ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क शहर के मेयर के लिए डेमोक्रेटिक प्राइमरी में जीत हासिल कर ली है। उनके प्रतिद्वंद्वी एवं एंड्रयू क्युमो ने मंगलवार देर रात हार स्वीकार की और कहा कि उन्होंने ममदानी को बधाई देने के लिए फोन किया। कुओमो ने न्यूयॉर्क सिटी बढ़ई संघ के मुख्यालय में कहा कि आज की रात हमारी रात नहीं थी और मुझे हमारे द्वारा चलाए गए अभियान पर बहुत गर्व है। न्यूयॉर्क सिटी बोर्ड ऑफ इलेक्शन के अनुसार, ममदानी ने प्रथम स्थान के लिए 43.5 प्रतिशत वोट जीते, जबकि कुओमो को 36.3 प्रतिशत वोट मिले। बोर्ड द्वारा 1 जुलाई को चुनाव के पूर्ण परिणामों की घोषणा करने की उम्मीद है, जिसमें रैंक्ड चॉइस वोटिंग का उपयोग किया गया है, जो न्यूयॉर्क के लोगों को वरीयता के क्रम में पाँच उम्मीदवारों को चुनने की अनुमति देता है।

कोरबा की बेटी की एमपी में दुष्कर्म के बाद हत्या, कार्रवाई की मांग करते परिजनों ने लाश रखकर किया सड़क जाम

कोरबा, 25 जून (हाईवे चैनल)। कोरबा की बेटी की मध्यप्रदेश के सिंगरौली में हुई मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. बेटी की दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप लगाते हुए परिजन मध्यप्रदेश पुलिस के जांच पर सवाल उठा रहे हैं. अब स्थानीय पुलिस-प्रशासन से मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर परिजनों ने हरदीबाजार के आमगांव चौक पर लाश को रखकर सड़क जाम कर दिया है. घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस के आला अधिकारी परिजनों को समझने का प्रयास कर रहे हैं.

कोरबा जिले के हरदीबाजार क्षेत्र में रहने वाले उमेद दास सिंगरौली में नौकरी करते थे, जिनके निधन के बाद उनकी पत्नी वर्तमान में अनुकंपा नियुक्ति पर नौकरी कर रही हैं. उमेद दास की बेटी पुष्पांजलि अपनी मां के साथ रहा करती थी. मां की अनुपस्थिति में भोपाल में रहकर पढ़ाई करने पुष्पांजलि की बड़ी बहन सिंगरौली आई थी. इस बीच काम के सिलसिले में बाहर गई थी, तीन दिन पहले लौटी बड़ी बहन को घर पहुंचने पर पुष्पांजलि की नग्न लाश मिली, जिसके गुप्तांग पर चोट के निशान नजर आ रहे थे. परिजनों ने बताया कि उन्होंने मोरवा थाना में हत्या का मामला दर्ज कराया है, लेकिन पुलिस ने दुष्कर्म के आरोप को दर्ज करने से इनकार कर दिया. इसके अलावा पुलिस पर उन्होंने थाने से भगाने का आरोप भी लगाया. परिजनों का यह रोष अंतिम संस्कार के लिए पुष्पांजलि के शव को हरदीबाजार लाते समय फूट पड़ा और कोरबा पुलिस-प्रशासन से कार्रवाई की मांग करते हुए आमगांव चौक पर लाश को रखकर सड़क जाम कर दिया है. मौके पर पहुंचे पुलिस के आला अधिकारी घटना की जानकारी लेते हुए परिजनों को समझाइश देने का प्रयास कर रहे हैं.

किस तरह संविधान की भावना का उल्लंघन किया गया, कोई भी भारतीय कभी नहीं भूलेगा : मोदी

आपातकाल पर बोले प्रधानमंत्री

नई दिल्ली, 25 जून (न्यूज चैनल)। देश में 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने आपातकाल के दिनों को याद करते हुए कहा कि आज भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक आपातकाल लागू होने के पचास साल पूरे हो गए हैं। यह वो वक्त था जब तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने लोकतंत्र को बंधक बना लिया था।

पीएम मोदी ने कहा कि कोई भी भारतीय कभी नहीं भूल सकता कि किस तरह हमारे संविधान की भावना का उल्लंघन किया गया। संसद की आवाज दबाई गई और अदालतों को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। 42वां संशोधन उनकी हरकतों का एक प्रमुख उदाहरण है। गरीबों, हाशिए पर पड़े लोगों और दलितों को खास तौर पर निशाना बनाया गया, जिसमें उनकी गरिमा का अपमान भी शामिल है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि हम आपातकाल के खिलाफ लड़ाई में डटे रहने वाले हर व्यक्ति को सलाम करते हैं। ये लोग पूरे भारत से, हर क्षेत्र से, अलग-अलग विचारधाराओं से आए थे जिन्होंने एक ही उद्देश्य से एक-दूसरे के साथ मिलकर काम किया। उनका लक्ष्य था भारत के लोकतांत्रिक ढांचे की रक्षा करना और उन आदर्शों को बनाए रखना जिनके लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना जीवन समर्पित कर दिया। यह उनका सामूहिक संघर्ष ही था जिसने यह सुनिश्चित किया कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार को लोकतंत्र बहाल करना पड़ा और नए चुनाव कराने पड़े। जिसमें वे बुरी तरह हार गए। पीएम ने लिखा कि हम अपने संविधान में निहित सिद्धांतों को मजबूत करने तथा विकसित भारत के अपने सपने को साकार करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं।

देश में 11 साल से अघोषित आपातकाल, खतरनाक हमले की चपेट में लोकतंत्र

कांग्रेस ने साधा मोदी सरकार के कार्यकाल पर निशाना

नई दिल्ली, 25 जून (न्यूज चैनल)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने (25 जून) आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर इसे भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक बताते हुए कहा कि कोई भी भारतीय यह कभी नहीं भूलेगा कि किस प्रकार संविधान की भावना का उल्लंघन किया गया और संसद की आवाज को दबाया गया। इसके पलटवार में कांग्रेस ने भी मोदी सरकार पर पटवार किया और मोदी सरकार के कार्यकाल पर तीखा हमला किया है।

कांग्रेस ने आपातकाल के 50 साल पूरा होने के मौके पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के हमले को लेकर बुधवार को पलटवार किया और आरोप लगाया कि पिछले 11 वर्षों से देश में अघोषित आपातकाल है तथा लोकतंत्र पर अलग-अलग दिशाओं से संगठित एवं खतरनाक हमले किए जा रहे हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने दावा किया कि मोदी सरकार में संविधान पर हमले हो रहे है, राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ जांच एजेंसियो का दुरुपयोग किया जा रहा है, संसदीय परंपराओं को तार-तार किया जा रहा है, न्यायपालिका को कमजोर किया जा रहा है और अब निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर भी गंभीर प्रश्नचिह्न लग चुके हैं। रमेश ने एक बयान में कहा, 11 साल से अघोषित आपातकाल है। पिछले 11 वर्ष और तीस दिन से भारतीयलोकतंत्र पांच दिशाओं से हो रहे एक संगठित और खतरनाक हमले की चपेट में है। उन्होंने दावा किया, संविधान पर हमले हो रहे हैं। संविधान बदलने के लिए जनादेश की मांग की गई। प्रधानमंत्री ने 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर की विरासत को धोखा देने के इरादे से चार सौ पार'' का जनादेश भारत की जनता से मांगा था ताकि संविधान बदल सकें। लेकिन भारत की जनता ने उन्हें यह जनादेश देने से मना कर दिया।